साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र गवाह विशनाराम का प्रस्तुत किया एवं साथ ही नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा आवंलियासर के खाता संख्या 74 प्रदर्ष–1 एवं नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा बागरासर के खाता संख्या 110 प्रदर्ष–2 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 कि ओर से इकवाली जवाब प्रस्तुत होने एवं प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र को वाद अनुसार संलग्न माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन बहस में किया गया। वकिल प्रतिवादी ने भी वाद को वाद अनुसार संलग्न माफिक नजरी नक्शानुसार डिक्रि किये जाने का निवेदन दौराने बहस किया। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये तथा वकील वादी द्वारा अन्तिम डिक्री किये जाने के निवेदन पर ग्राम आवंलियासर के मुतदाविया खेताय खसरा नम्बर 58/279 रकबा 10.3357 हैक्टेयर, एवं मौजा बागरासर के खेत खसरा नम्बर 323/36 रकबा 1.6026 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार कृषक घाषित करके वाद पत्र को डिक्रि किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है। वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 विशनाराम के हक बंट में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नम्बर 58/279 में से रकबा 5.1679 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 ओमप्रकाश के हक बंट में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नम्बर 58/279 में से रकबा 5.1679 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 क्रमाशः नाथूराम, भंवरी व शारदा के संयुक्त हक बंट में मौजा बागरासर का खेत खसरा नम्बर 323/36 रकबा 1.6026 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
4. उक्त खसरान में बैंक के रहन कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा।

वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा। माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार डेह को जारी हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 29-09-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner